

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.1(1) चिस्वा/ग्रुप-2/2020

जयपुर, दिनांक : 25.04.2021

आदेश

कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत मरीजों को निजी चिकित्सालयों एवं दवा स्टॉकिस्ट एवं दवा विक्रेता के स्तर से Remdesivir Inj., Tocilizumab Inj., Favipiravir Tab, की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कालाबाजारी रोकने हेतु श्री अनिल पालीवाल, अतिरिक्त निदेशक, आई.ई.सी. एवं परियोजना निदेशक, एन.एच.एम. को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

औषधि नियंत्रक, औषधि नियंत्रण संगठन, राज. जयपुर के आदेश क्रमांक डीसी/ए-2/2021/298 दिनांक 21.4.2021 के द्वारा गठित की गई निम्न कमेटी उक्त कार्य में श्री पालीवाल का सहयोग करेगी एवं श्री पालीवाल के निर्देशन में कार्य सम्पादित करेगी।


1. श्री दिनेश तनेजा, सहायक औषधि नियंत्रक, सेठी कॉलोनी, जयपुर
2. श्री मनीष कुमार मोदी, औषधि नियंत्रण अधिकारी, मुख्यालय, जयपुर
3. श्रीमती कोमल रूपचंदानी, औषधि नियंत्रण अधिकारी, सेठी कॉलोनी, जयपुर
4. श्री नवीन सांघी, सदस्य, राजस्थान फार्मसी कौंसिल, जयपुर



(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, जयपुर, राजस्थान।
3. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री, जयपुर, राजस्थान।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर, राजस्थान।
7. मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर, राजस्थान।
8. प्रबंध निदेशक, आरएमएससीएल जयपुर, राजस्थान।
9. जिला कलेक्टर, जयपुर।
10. अतिरिक्त निदेशक, आई.ई.सी. एवं परियोजना निदेशक, एन.एच.एम.
11. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर।
12. औषधि नियंत्रक, राजस्थान।
13. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर
14. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जयपुर
15. अध्यक्ष, राजस्थान फार्मसी कौंसिल, जयपुर
16. रक्षित पत्रावली।


(संजय कुमार)
शासन उप सचिव